© INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH PUBLICATION & SEMINAR
ISSN: 2278-6848 | Volume: 10 Issue: 04 | October - December 2019
Paper is available at http://www.jrps.in | Email : info@jrps.in
PEER REVIWED AND REFEREED

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी बाल अधिकार कानून

सुरेन्द्र
(शोध छात्र)
बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा)

सारांश

प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से शिक्षा की महत्ता को किसी भी रूप में नकारा नहीं जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार सभी को शिक्षा पाने का अधिकार है। भारतीय संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है। इसके अनुसार केन्द्र और राज्य दोनों ही अपनी–अपनी नीतियाँ एवं विधियाँ निर्धारित कर सकती है। इसके पूर्व यह अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत शामिल था जिसे राज्य सरकार क्रियांवित करने हेतु बाध्य नहीं थी किन्तु अब इसे अनुच्छेद 2 और भाग 3 में शामिल कर मूल अधिकार की श्रेणी में लाया गया है। भारत सरकार ने सन् 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी बाल अधिकार कानून को पूरे देश में लागू किया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ।

मुख्य शब्दः– निःशुल्क, अनिवार्य, शिक्षा, बाल अधिकार, कानून

1. प्रस्तावनाः–

प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बड़ा महत्त्व है। शिक्षा को जीवन का आधार माना गया है, अर्थात् शिक्षा ही जीवन है। किसी भी देश के आधुनिक या विकसित होने का प्रभाव उस देश के नागरिकों के शिक्षा स्तर पर निर्भर करता है। मानव सभी जीवों और प्राणियों में इसलिए श्रेष्ठ है, क्योंकि वह शिक्षित है, उन्हें जीवन में सही तरीके से जीने की शिक्षा प्राप्त है। आधुनिक समय में शिक्षा को ही किसी राष्ट्र या समाज की प्रगति का सूचक समझा जाता है।

इक्कीसवीं सदी प्रतिस्पर्धा का युग है। संविधान निर्मित हुए दशकों बीत चुके हैं। समय के साथ–साथ के मायने भी बदल चुके हैं। संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार सभी को शिक्षा पाने का अधिकार है। मानव अधिकार एवं शिक्षा एक–दूसरे के पूरक हैं। भारतीय संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है। इसके अनुसार केन्द्र और राज्य दोनों ही अपनी–अपनी नीतियाँ एवं विधियाँ निर्धारित कर सकती है। इसके पूर्व यह अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत शामिल था जिसे राज्य सरकार क्रियांवित करने हेतु बाध्य नहीं थी, किन्तु अब इसे अनुच्छेद 2 और भाग 3 में शामिल कर मूल अधिकार की श्रेणी में लाया गया है।

© INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH PUBLICATION & SEMINAR
ISSN: 2278-6848 | Volume: 10 Issue: 04 | October - December 2019
Paper is available at http://www.jrps.in | Email : info@jrps.in
PEER REVIWED AND REFEREED

विगत वर्षों में भारत ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नामांकन, छात्रों की संख्या, नियमित उपस्थिति के संदर्भ में प्रगति की है। शत–प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति अभी तक नहीं हो पायी है। केन्द्र सरकार द्वारा सतत् प्रयास किए जाते रहे हैं। 86वां संशोधन, अधिनियम 2002 के भाग 3 (मूल अधिकार) में एक नई धारा 21–क को जोड़कर 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाने की बात कही गयी है।

2. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी कानून का सामान्य परिचयः–

भारत सरकार ने सन् 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी बाल अधिकार कानून को पूरे देश में लागू किया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ। इससे पहले सन् 1947 में ही शिक्षा सुविधा को कार्यान्वित करने के लिए संविधान द्वारा सरकार को 10 वर्ष का समय भी दिया था, जिसमें देश के सभी बच्चों को शिक्षा सुविधा प्रदान कराने की बात कही गयी थी। 1993 में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक क्रांतिकारी फैसले से तत्कालीन सरकार को जगाया। न्यायालय ने कहा कि संविधान में 'जीवन के अधिकार' का अर्थ तो तभी है, जब व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिला हो। इस फैसले के तहत सरकार को 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देना आवश्यक समझा। भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व० श्री अटल बिहारी वाजपेयी की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संविधान ने उपर्युक्त बदलाव कर 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया।

सन् 2009 के "शिक्षा अधिकार" कानून के विविध प्रावधानों को समझने के लिए सर्वप्रथम देश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को समझना होगा। सन् 2016–17 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में लगभग 79 प्रतिशत सरकारी विद्यालय हैं, परन्तु सरकारी विद्यालयों में अधिक खर्च, अच्छी सुविधाओं तथा अध्यापकों के अच्छे वेतनमानों के बावजूद निजी विद्यालयों की तुलना में शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। सरकारी विद्यालयों के अधिकतर विद्यार्थियों को प्राईवेट ट्यूशन में पढ़ना पड़ता है। यहां तक की गाँवों में सरकारी विद्यालय होने के बावजूद माता–पिता बच्चों की निजी विद्यालयों में पढ़ाना पसन्द करते हैं। यदि केन्द्र सरकार वास्तव में कमजोर तथा ग्रामीण वर्ग में कल्याण की मंशा रखती है तो सुशासन के प्रति कटिबद्ध होकर सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था को सुधारना होगा।

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा अधिकार कानून में प्रावधान किया गया है कि देश में सभी को समान शिक्षा मिले (Common School System-CSS)। आज देश में ऐसे विद्यालयों की कोई कमी नहीं जहाँ आधुनिक शिक्षा के लिए 5 से 7 लाख रूपए

© INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH PUBLICATION & SEMINAR
ISSN: 2278-6848 | Volume: 10 Issue: 04 | October - December 2019
Paper is available at http://www.jrps.in | Email : info@jrps.in
PEER REVIWED AND REFEREED

सालाना फीस लेते हैं। इन विद्यालयों में बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाती है। इसलिए कानून में यह प्रावधान किया गया है कि प्राईवेट विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटें कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की जाएगी। इसके लिए सरकार उन्हें प्रति बच्चा 19,000 रूपए तक की सालाना मदद भी करेगी।

यदि शिक्षा कानून 2009 पर होनेवाले खर्च की समीक्षा करें तो इस कानून के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में लगे सभी अध्यापकों को छठे वेतनमान आयोग की अनुशंसा के हिसाब से वेतन देना होगा। तीन वर्ष के भीतर सरकार को प्रत्येक शिशु के लिए उसके नजदीक में स्कूल उपलब्ध करना होगा। सरकार प्राथमिक शिक्षा के ऊपर जीडीपी का लगभग 6 प्रतिशत खर्च करती है। इस अधिकार को प्रभावी रूप से क्रियांवित करने के लिए सरकार को एक अनुमान के अनुसार जीडीपी का 15 प्रतिशत खर्च करना पड़ेगा।

3. शिक्षा के अधिकार अधिनियम की मुख्य विशेषताएँः–

- अधिनियम के अनुसार प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त है।
- हर स्कूल में लड़कों और लड़कियों के लिए स्वच्छ और अलग शौचालय होना चाहिए।
- विद्यालयों को मुफ्त में पीने का पानी उपलब्ध कराना चाहिए।
- कक्षा में विद्यार्थी–शिक्षक के अनुपात को मानकीकृत किया जाता है।
- बच्चों को उनकी उम्र केक अनुसार कक्षा में नामांकित किया जाना चाहिए और यदि वे पीछे रह गए हैं तो उनकी पाठ्यक्रम से तालमेल बिठाने के लिए उन्हें सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
- अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि नियुक्त शिक्षकों को उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अधिनियम के तहत शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए योग्यता के मानदंड तथा मानक निर्धारित किए गए हैं।
- अधिनियम के अनुसार बच्चों को स्कूल में एडमिशन देने की गारंटी दी गई है।
- स्कूलों में बच्चों के साथ भेदभाव या उत्पीड़न न हो, इसके लिए पर्यवेक्षक तथा कड़े कानून बनाए गए हैं।
- माता–पिता की सहमति के बिना बच्चों को रोक कर नहीं रखा जा सकता है और न ही उन्हें निष्कासित नहीं किया जा सकता है।
- प्राईवेट स्कूलों में हर कक्षा के 25 प्रतिशत छात्रों को समाज के वंचित लोगों के लिए आरटीई जनादेश का हिस्सा होना चाहिए।

© INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH PUBLICATION & SEMINAR
ISSN: 2278-6848 | Volume: 10 Issue: 04 | October - December 2019
Paper is available at http://www.jrps.in | Email : info@jrps.in
PEER REVIWED AND REFEREED

4. शिक्षा का अधिकार अब एक मौलिक अधिकारः–

भारत माता के महान सपूतों में से एक गोपाल कृष्ण गोखले यदि आज जिंदा होते तो देश के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को अपने सपने को साकार होते देखकर सबसे अधिक प्रसन्न होते। गोखले वही व्यक्ति थे जिन्होंने आज से एक सौ वर्ष पहले ही इम्पीरियल लेजिस्लेटिव एसेम्बली से यह मांग की थी कि भारतीय बच्चों को ऐसा अधिकार प्रदान किया जाए। इस लक्ष्य तक पहुँचने में हमें एक सदी का समय लगा है।

सरकार ने अंत में सभी विसंगतियों को दूर करते हुए इस वर्ष पहली अप्रैल से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया है। शिक्षा का अधिकार अब 5 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है। सरल शब्दों में इसका अर्थ यह है कि सरकार प्रत्येक बच्चे को आठवीं कक्षा तक की निःशुल्क पढ़ाने के लिए उत्तरदायी होगी, चाहे वह बालक हो अथवा बालिका अथवा किसी भी वर्ग का हो। इस प्रकार इस कानून देश के बच्चों को मजबूत साक्षर और अधिकार सम्पन्न बनाने का मार्ग तैयार कर दिया है।

इस अधिनियम में सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और अनिवार्य शिक्षा प्रदान का प्रावधान है, जिससे ज्ञान, कौशल और मूल्यों से लैस करके उन्हें भारत का प्रबुद्ध नागरिक बनाया जा सके। यदि विचार किया जाए तो आज देशभर में स्कूलों से वंचित लगभग एक करोड़ बच्चों को शिक्षा प्रदान करना सचमुच हमारे लिए एक दुष्कर कार्य है। इसलिए इस लक्ष्य को साकार करने के लिए सभी हितधारकों के माता–पिता, शिक्षक, स्कूलों, गैर–सरकारी संगठनों और कुल मिलाकर समाज, राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार की ओर से एकजुट प्रयास का आह्वान किया गया है। जैसा कि राष्ट्र को अपने संबोधन में प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह ने कहा कि सबको साथ मिलकर काम करना होगा और राष्ट्रीय अभियान के रूप में चुनौती को पूरा करना होगा।

- बच्चों की समझने की क्षमता का लगातार विश्लेषण और उसे उसकी सामर्थय पर लागू करना। (धारा 29)

समुचित राज्य सरकार–

- प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगी।
- नजदीक में स्कूल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।
- यह भी सुनिश्चित करेगी कि गरीब वर्ग का कोई भी बालक किसी भी कारण से प्राथमिक शिक्षा से वंचित न रहे।

स्थानीय प्राधिकारी–

- प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराऐंगे।

© INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH PUBLICATION & SEMINAR
ISSN: 2278-6848 | Volume: 10 Issue: 04 | October - December 2019
Paper is available at http://www.jrps.in | Email : info@jrps.in
PEER REVIWED AND REFEREED

- अपने क्षेत्राधिकार में वर्ष तक के बच्चों का रिकॉर्ड रखेंगे।
- अपने क्षेत्राधिकार में प्रत्येक बच्चे के प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति व समाप्ति को सुनिश्चित करेंगे।
- शैक्षणिक कैलेण्डर निर्धारित करेंगे। (धारा 9)

माता–पिता या संरक्षक का दायित्व–

- अपने बच्चों को नजदीकी विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। (धारा 10)
- बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व स्कूल (Pre & School) पूर्व शिक्षा की आवश्यकता व्यवस्था सरकार करेगी। (धारा)
- पहली से पांचवी कक्षा के लिए वर्ष में 200 कार्य दिवस तय किए गए हैं, यानि 200 दिन स्कूल में पढ़ाई होगी।
- छठी से आठवीं कक्षा के लिए वर्ष में 220 कार्य दिवस तय किए गए हैं, यानि 220 दिन स्कूल में पढ़ाई होगी।
- शिक्षक सप्ताह में कम से कम 45 घंटे पढ़ाई का कार्य करेंगे, इसमें पढ़ाने हेतु तैयारी के घंटे भी शामिल हैं।

दिव्यांग बच्चों को शिक्षा और सीखने से संबंधित विशेष सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाएगी और यदि स्कूल दूर है तो ऐसे बच्चों के आने–जाने के लिए वाहन की व्यवस्था की जाएगी। हर स्कूल में रैम्प (आने–जाने का ढालदार रास्ता) बनाया जाएगा ताकि उनको अंदर आने–जाने में असुविधा न हो।

प्राथमिक शिक्षा पूरी होने पर बच्चे को स्कूल के मुख्याध्यापक द्वारा प्राथमिक शिक्षा पूरी होने का प्रमाण–पत्र दिया जाएगा। यह प्रमाण–पत्र सिर्फ कुछ विषयों पर केन्द्रित नहीं होगा, बल्कि इसमें बच्चों की संपूर्ण उपलब्धियों को देखा जाएगा। इन उपलब्धियों में संगीत, नृत्य, साहित्य, खेल आदि विषय भी शामिल किये जा सकते हैं।

References :

1. .कपिल, एच के. 1979). अनुसंधान विधियाँ आगराः द्वितीय संस्करण. हरिप्रसाद भार्गवहाऊस. पृष्ठ संख्या - 23
2. कोठारी, सी. आर .(2008). अनुसंधान विधिशास्त्र विधियाँ और तकनीकी, आगराः न्यूरो जइन्टरनेशनल लिमिटेड पब्लिकेशन कारपोरेशन. पृष्ठ संख्या - 2

3. खान, ए. आर.(2005). जीवन कौशल शिक्षा. अजमेरः राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रष्ठ संख्या - 14
4. गुप्त, नत्थूलाल (2000). मूल्य परक शिक्षा और समाज. नई दिल्लीः नमन प्रकाशन
5. गौड़ अनिता (2005). बच्चों की प्रतिभा कैसे निखारे, नई दिल्लीः राज पाकेट बुक्स पृष्ठ संख्या - 14
6. चतुर्वेदी, त्रिभुवननाथ (2005). पारिवारिक सुख के लिए हैः किशोर मन की समझ. न ई - दिल्लीः श्रीविजय इन्द्र टाइम्स अंक - 8, पृष्ठ संख्या - 25
7. चैबे, सरयू प्रसाद (2005). शिक्षा मनोविज्ञान. मेरठः इण्टरनेशनल पब्लिकेशन हाऊस. पेज न. 184
8. चौहान, एस. एस. 1996). सर्वांगीण बाल विकास. नई दिल्लीः करोल बाग. आर्य बुक डिपो. पेज प. 591